तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सलमा, 2 खैरादियों का बास, पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 74 / 2024 जीसीएमएस नं. :– 2024 / 137 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । सलमा स्वयं उपस्थित। 2. सर्वप्रथम फर्द–अहकाम का अवलोकन करने पर पाया कि फर्द अहकाम में अपीलार्थी का नाम सहवन से मोहम्मद फैजान अंकित हो गया। हमने अपील प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी का नाम मोहम्मद फैजान न होकर सलमा है। अतः फर्द अहकाम में अंकित अपीलाण्ट का नाम मोहम्मद फैजान की जगह सलमा पढ़ा जावे। 3. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13.06.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 4. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / 178 / 2024 / 956 दिनांक05.09.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी पाली से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक 634 दिनांक 18.06. 2024 के लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी पाली को निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के संबंध में अपीलाण्ट स्वयं सलमा ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति / प्रतिक्रिया जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी पाली को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.2024 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त प्रार्थना–पत्र में वांछित सभी सूचनाएं जिला रसद अधिकारी पाली से संबंधित न होकर कुछ सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से भी संबंधित है। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली व जिला रसद अधिकारी पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 7. निर्णय आज दिनांक **09.09.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। **(एल.एन. मंत्री)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	

Scanned with ACE Scanner